

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-148
दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

*148. डा. सुधांशु त्रिवेदी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए विद्युत क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुशल पेशेवरों की सीमित उपलब्धता भी प्रौद्योगिकी के संस्थापन और रखरखाव को बाधित करती है; और

(ग) यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति” के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 148 के संबंध में भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) : विद्युत मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए विद्युत क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

(1) अनुमानित अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2031-32 की अवधि के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचित की गई है। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने राज्य स्तर पर संसाधन पर्याप्तता को अनिवार्य करने वाले विद्युत नियमों को अधिसूचित किया है। राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को इन नियमों के अनुरूप विनियम जारी करने, अनुपालन की निगरानी करने और गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना लगाने का कार्य सौंपा गया है। वितरण लाइसेंसधारी संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ तैयार करने और अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्पादन क्षमता को जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ संभावित निवेशकों को दृश्यता प्रदान करती हैं।

(2) टैरिफ नीति 2016 में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा समय पर टैरिफ आदेश जारी करने को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ सुनिश्चित किया जा सके। इससे मूल्य श्रृंखला में विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता में मदद मिलेगी।

(3) केंद्र सरकार ने विद्युत नियमों में संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:

- (i) मासिक आधार पर विद्युत क्रय लागत में किसी भी वृद्धि को स्वचालित रूप से पास-थ्रू करना अनिवार्य है। वितरण परिसंपत्तियों के सभी विवेकपूर्ण विकास और रखरखाव लागत और इक्विटी पर उचित लाभ को पारित करने के लिए अनिवार्य किया गया है।
- (ii) राज्य विद्युत विनियामक आयोग प्राकृतिक आपदाओं के मामलों को छोड़कर टैरिफ तय करते समय किसी भी राजस्व अंतर की अनुमति नहीं देगा। मौजूदा अंतर को सात वार्षिक किस्तों में समाप्त किया जाना चाहिए।
- (iii) यदि कानून में कोई बदलाव होता है, तो उचित आयोग से संस्वीकृति का इंतजार किए बिना विद्युत की लागत को समायोजित किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रभावित पक्ष को उचित मुआवजा मिले, जिससे वे उसी आर्थिक स्थिति में वापस आ सकें, जिसमें वे कानून में बदलाव होने से पहले थे।
- (iv) वितरण लाइसेंसधारियों को अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के तहत सब्सिडी का उचित हिसाब रखना होगा। उन्हें केंद्र सरकार की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का अनुपालन करना होगा। राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) चूक करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

(v) विलंबित भुगतान अधिभार नियम के अनुसार, उत्पादन कंपनियों और अंतर-राज्यीय पारेषण लाइसेंसधारियों को समय पर उनका भुगतान प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा चूककर्ता इकाई तक अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली की पहुंच विनियमित कर दी जाएगी।

(4) केन्द्र सरकार के टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है तथा उत्पादन और पारेषण क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रदान किए हैं।

(5) केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों के तहत सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वित्त पोषण प्रदान करके राज्यों में वितरण लाइसेंसधारियों के प्रयासों का समर्थन करती है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से देश की वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 1.85 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए।

(6) केन्द्र सरकार ने जुलाई 2021 में देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम के तहत, पात्र डिस्कामों/विद्युत विभागों (निजी क्षेत्र की डिस्काम को छोड़कर) को वितरण अवसंरचना के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इससे न केवल वितरण अवसंरचना में सुधार होगा बल्कि वितरण क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता में भी सुधार होगा जिससे अधिक निवेश होगा।

(ख) और (ग) : विद्युत क्षेत्र में दक्ष पेशेवरों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

- i. पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए पावर सेक्टर स्किल काउंसिल (पीएसएससी) के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- ii. अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं।
- iii. शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के सहयोग से क्षमता निर्माण का काम शुरू किया गया है।
- iv. परियोजना स्थलों के निकट ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और कौशल उन्नयन के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- v. विद्युत कंपनियों के साथ प्रशिक्षुता के माध्यम से कार्यस्थल पर प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता है
- vi. आरडीएसएस स्कीम के क्रियान्वयन में कार्यरत कार्मिकों के लिए तकनीकी मामलों में प्रशिक्षण, उन्नत प्रौद्योगिकी, उन्नत मीटरिंग अवसंरचना कार्य आदि सहित कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1579

दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

उत्तराखंड में गांवों का विद्युतीकरण

1579. श्री नरेश बंसल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2019 से उत्तराखंड राज्य में, विशेष रूप से देहरादून और हरिद्वार जिले के गांवों में विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भविष्य की रूपरेखा सहित गांवों के विद्युतीकरण कार्यक्रम की स्थिति और ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2019 से गांवों में प्रतिदिन उपलब्ध बिजली की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है, ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28 अप्रैल, 2018 तक देश के सभी गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था, जिसमें देहरादून और हरिद्वार जिले के गांव भी शामिल हैं। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया (राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है) जिसमें उत्तराखंड राज्य के 91 गांव शामिल हैं।

डीडीयूजीजेवाई और उसके बाद सौभाग्य के तहत, जैसा कि सभी राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण 31 मार्च, 2019 तक पूरा हो गया था। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया (राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है) जिसमें उत्तराखंड राज्य के 2,48,751 घर (देहरादून जिले में 17,121 घर और हरिद्वार जिले में 30,691 घर) शामिल हैं। दोनों स्कीमों में दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की चल रही स्कीम के तहत सौभाग्य के दौरान छोटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों की सहायता कर रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिन्हित किए गए घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत आदिवासी परिवारों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए संस्वीकृति दी जा रही है। अभी तक, पीएम-जनमन के तहत चिन्हित किए गए पीवीटीजी परिवारों और डीए-जेजीयूए के तहत चिन्हित किए गए आदिवासी परिवारों सहित 9,49,548 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,281 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है (राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-III** पर दिया गया है)। इसके अलावा, नई सौर ऊर्जा स्कीम के तहत 9,863 घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण हेतु 49 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं (राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-IV** पर दिया गया है)।

(ग) : केंद्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपूर्ति के औसत घंटे वित्त वर्ष 2019 में 20.7 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 21.9 घंटे हो गए हैं।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आबादी वाले जनगणना गांवों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू और कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	18,374

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों की संख्या, जिसमें डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि भी शामिल है

क्रम. सं.	राज्यों का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		2,86,13,424

*सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत घरों का विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपए)	कुल संस्वीकृत घरों की संख्या
क.	अतिरिक्त परिवार		
1	राजस्थान	459	1,90,959
2	मेघालय	436	50,501
3	मिजोरम	80	15,167
4	नागालैंड	70	10,004
5	उत्तर प्रदेश	931	2,51,487
6	आंध्र प्रदेश	49	15,475
7	झारखंड	7	872
8	जम्मू और कश्मीर	77	10,730
9	बिहार	239	35,467
10	असम	786	1,27,111
11	अरुणाचल प्रदेश	47	6,506
12	मणिपुर	214	36,972
13	छत्तीसगढ़	317	63,161
	कुल (क)	3,712	8,14,412
ख.	वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत		
1	हिमाचल प्रदेश*	6	-
2	अरुणाचल प्रदेश	20	1,683
3	उत्तराखंड	13	1,154
	कुल (ख)	39	2,837
ग.	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत		
ग1	आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत		
1	आंध्र प्रदेश	89	25,054
2	बिहार	0.28	51
3	छत्तीसगढ़	38	7,077
4	झारखंड	74	12,442
5	मध्य प्रदेश	143	29,290
6	महाराष्ट्र	27	8,556
7	राजस्थान	40	17,633
8	कर्नाटक	4	1,615
9	केरल	1	345
10	तमिलनाडु	30	10,673
11	तेलंगाना	7	3,884
12	त्रिपुरा	62	11,664

13	उत्तराखंड	1	669
14	उत्तर प्रदेश	1	316
	उप योग (ग1)	516	1,29,269
ग2	राज्य योजना के अंतर्गत		
1	गुजरात	0	0
2	ओडिशा	0	0
3	पश्चिम बंगाल	0	0
	उप योग (ग2)	0	0
	कुल (ग=ग1+ग2)	516	1,29,269
घ.	आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत		
1	छत्तीसगढ़	12	2,550
2	महाराष्ट्र	2	480
	कुल (घ)	14	3,030
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	4,281	9,49,548

नई सौर ऊर्जा स्कीम के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित घरों के विद्युतीकरण को संस्वीकृति

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,675
2	छत्तीसगढ़	1,578
3	झारखंड	2,342
4	कर्नाटक	179
5	मध्य प्रदेश	2,060
6	तेलंगाना	326
7	त्रिपुरा	1,703
कुल		9,863

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1580
दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विद्युत उत्पादन क्षमता

1580. श्री नरेश बंसल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में हर वर्ष विद्युत की मांग बढ़ रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तराखंड राज्य और अन्य हिमालयी राज्यों में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य में विद्युत आपूर्ति क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का विवरण क्या है, जिसमें वे विशिष्ट राज्य भी शामिल हैं, जिन्हें इन प्रयासों से लाभ मिलने की उम्मीद है, साथ ही परियोजनाओं के नाम, स्थान, क्षमता वृद्धि और विभिन्न तरीकों से इन्हें पूरा किये जाने की अनुमानित तिथियों के बारे में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में ऊर्जा की आवश्यकता और व्यस्ततम मांग में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) और (ग) : उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के राज्यों सहित हिमालयी राज्यों में 2031-32 तक चालू करने के लिए स्वीकृत/कार्यान्वित परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-II** पर दिया गया है। इसके अलावा, उत्तराखंड में निर्माणाधीन पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) का ब्यौरा **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता		आपूर्ति ऊर्जा		अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	% वृद्धि	(एमयू)	% वृद्धि	(एमयू)	(%)
2019-20	12,91,010		12,84,444		6,566	0.5
2020-21	12,75,534	-1.2*	12,70,663	-1.1*	4,871	0.4
2021-22	13,79,812	8.2	13,74,024	8.1	5,787	0.4
2022-23	15,13,497	9.7	15,05,914	9.6	7,583	0.5
2023-24	16,26,132	7.4	16,22,020	7.7	4,112	0.3
2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक)	10,26,642	4.7	10,25,379	4.9	1,263	0.1

*कोविड महामारी के कारण

वर्ष	व्यस्ततम मांग		व्यस्ततम पूर्ति		मांग अनापूर्ति	
	(एमयू)	% वृद्धि	(एमडब्ल्यू)	% वृद्धि	(एमडब्ल्यू)	(%)
2019-20	1,83,804		1,82,533		1,271	0.7
2020-21	1,90,198	3.5	1,89,395	3.8	802	0.4
2021-22	2,03,014	6.7	2,00,539	5.9	2,475	1.2
2022-23	2,15,888	6.3	2,07,231	3.3	8,657	4.0
2023-24	2,43,271	12.7	2,39,931	15.8	3,340	1.4
2024-25(अक्टूबर, 2024 तक)	2,49,856	2.7	2,49,854	4.1	2	0.001

उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के राज्यों सहित हिमालयी राज्यों में 2031-32 तक चालू करने के लिए स्वीकृत/कार्यान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विकासकर्ता	क्षेत्र	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
वित्त वर्ष 2024-25					
1	पार्वती-II	एनएचपीसी	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	800
2	उहल-III	बीवीपीसीएल	राज्य	हिमाचल प्रदेश	100
3	सुबनसिरी निचला	एनएचपीसी	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	750
उप-योग (वित्त वर्ष 2024-25)					1650
वित्त वर्ष 2025-26					
1	रंगित-IV	एनएचपीसी	केंद्रीय	सिक्किम	120
2	लोअर कोपिली/एपीजीसीएल	एपीजीसीएल	राज्य	असम	120
3	कुटेहर	जेएसडब्ल्यू	निजी	हिमाचल प्रदेश	240
4	सुबनसिरी लोअर*	एनएचपीसी	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	500
5	टिडोंग-I	स्टेटक्राफ्ट इंडिया	निजी	हिमाचल प्रदेश	150
उप-योग (वित्त वर्ष 2025-26)					1130
वित्त वर्ष 2026-27					
1	कीरू	सीवीपीपीएल	केंद्रीय	जम्मू और कश्मीर	624
2	सुबनसिरी लोअर	एनएचपीसी	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	750
3	रतले	एनएचपीसी	केंद्रीय	जम्मू और कश्मीर	850
4	पकल दुल	सीवीपीपीएल	केंद्रीय	जम्मू और कश्मीर	1000
5	विष्णुगाड पीपलकोटी	टीएचडीसी	केंद्रीय	उत्तराखंड	444
6	शोंगटोंग करछम	एचपीपीसीएल	राज्य	हिमाचल प्रदेश	450
7	धौलासिद्ध	एसजेवीएन	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	66
उप-योग (वित्त वर्ष 2026-27)					4184
वित्त वर्ष 2027-28					
1	तीस्ता-VI	एनएचपीसी	केंद्रीय	सिक्किम	500
2	क्वार	सीवीपीपीएल	केंद्रीय	जम्मू और कश्मीर	540
3	चांजू-III	एचपीपीसीएल	राज्य	हिमाचल प्रदेश	48
4	लुहरी-I	एसजेवीएन	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	210
5	परनाई	जेकेएसपीडीसी	राज्य	जम्मू और कश्मीर	37.5
उप-योग (वित्त वर्ष 2027-28)					1335.5
वित्त वर्ष 2028-29					
1	सुन्नी बांध	एसजेवीएन	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	382
2	तपोवन विष्णुगाड	एनटीपीसी	केंद्रीय	उत्तराखंड	520
3	लखवार बहुउद्देशीय परियोजना	यूजेवीएनएल	राज्य	उत्तराखंड	300
4	टाटो-I	नीपको	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	186
5	हेओ	नीपको	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	240
उप-योग (वित्त वर्ष 2028-29)					1628
वित्त वर्ष 2031-32					
1	दिबांग	एनएचपीसी	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	2880
उप-योग (वित्त वर्ष 2031-32)					2880
कुल योग					12807.5

उत्तराखंड में निर्माणाधीन पम्प भंडारण परियोजना (पीएसपी) का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	विकासकर्ता
वर्ष - 2024-25				
1	टिहरी पीएसएस	उत्तराखंड	250	टीएचडीसी
	कुल		250	
वर्ष - 2025-26				
2	टिहरी पीएसएस	उत्तराखंड	750	टीएचडीसी
	कुल		750	
	कुल योग		1000	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1581
दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ
पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-2

1581. सुश्री इंदु बाला गोस्वामी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-2 कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या एनएचपीसी द्वारा उक्त परियोजना के माध्यम से बिजली उत्पादन का कार्य आरंभ कर दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही 800 मेगावाट की पार्वती जलविद्युत परियोजना (चरण-II) मार्च, 2025 तक शुरू होने वाली है।

(ख) और (ग) : परियोजना ने सितंबर, 2018 से आंशिक उत्पादन शुरू कर दिया है और अब तक इसने 1129 मिलियन यूनिट (एमयू) अस्थाई विद्युत का उत्पादन किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1582
दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ
राष्ट्रीय पाककला कार्यक्रम की शुरुआत

1582. सुश्री इंदु बाला गोस्वामी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय पाककला कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या ई-कुकिंग देश के गरीबों के लिए खाना पकाने की लागत को कम करेगी?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने इंडक्शन कुक स्टोव के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से नवंबर, 2023 में राष्ट्रीय कुशल पाककला कार्यक्रम (एनईसीपी) शुरू किया है।

(ख) : घरों में एलपीजी आधारित खाना पकाने की तुलना में इंडक्शन कुक स्टोव की उच्च दक्षता से मौद्रिक बचत हो सकती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1583

दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

1583. श्री परिमल नथवानी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा हो चुका है या अभी भी दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों के कुछ गांवों में बिजली नहीं पहुंची है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात, झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्यों के कुछ गांव अभी भी अंधेरे में हैं क्योंकि वहां अभी भी बिजली नहीं पहुंची है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार देश भर में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक समान बिजली शुल्क लागू करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गुजरात, झारखंड और आंध्र प्रदेश सहित देश के सभी गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युत पहुंचा दी गई। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के दौरान कुल 18,374 गांवों में विद्युत पहुंचाई गई। राज्य-वार विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार (जीओआई) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक घरों और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों के विद्युतीकरण के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की भी शुरुआत की है। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। डीडीयूजीजेवाई (दिनांक 31.03.2022 तक) के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त घरों सहित सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों का विवरण अनुबंध-II पर दिया गया है।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की चल रही स्कीम के अंतर्गत सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को समर्थन दे रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी पहचाने गए घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत आदिवासी परिवारों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए संस्वीकृति दी जा रही है। अब तक, पीएम-जनमन के अंतर्गत पहचाने गए पीवीटीजी परिवारों और डीए-जेजीयूए के अंतर्गत पहचाने गए आदिवासी परिवारों सहित 9,49,548 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,281

करोड़ रुपये की राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** पर दिया गया है। ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए 9,863 घरों के लिए 49 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-IV** पर है।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संबंधित विद्युत विनियामक आयोग अंतिम उपभोक्ताओं को विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए विद्युत टैरिफ निर्धारित करता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और टैरिफ नीति टैरिफ निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करती है।

पूरे देश में एक समान विद्युत मूल्य निर्धारण क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**दिनांक 2015-16 से 28.04.2018 तक डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आबादी वाले संगणना गांवों
का राज्य-वार विद्युतीकरण**

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू और कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	18,374

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों की संख्या, जिसमें डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि भी शामिल है

क्रम. सं.	राज्यों का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		2,86,13,424

*सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत घरों का विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपए)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपए)	कुल संस्वीकृत घर	दिनांक 22.11.2024 तक विद्युतीकृत घर
क.	अतिरिक्त घर				
1	राजस्थान	459.18	275.51	1,90,959	64,368
2	मेघालय	435.70	392.13	50,501	0
3	मिजोरम	79.90	71.91	15,167	0
4	नागालैंड	69.55	62.59	10,004	0
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487	0
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.54	15,475	12,740
7	झारखंड	7.47	4.48	872	0
8	जम्मू और कश्मीर	77.10	69.39	10,730	0
9	बिहार	238.86	143.31	35,467	0
10	असम	785.55	706.99	1,27,111	0
11	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	6,506	0
12	मणिपुर	214.44	193.00	36,972	0
13	छत्तीसगढ़	316.51	189.90	63,161	0
	कुल (क)	3,711.65	2,739.79	8,14,412	77,108
ख.	वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत				
1	हिमाचल प्रदेश*	6.08	5.47	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683	0
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154	0
	कुल (ख)	39.34	35.41	2,837	0
ग.	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत				
ग1	आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत				
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	25,054	24,057
2	बिहार	0.28	0.17	51	0
3	छत्तीसगढ़	38.17	22.90	7,077	4,323
4	झारखंड	74.13	44.47	12,442	62
5	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290	9,445
6	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556	9,216
7	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	15,667
8	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615	921
9	केरल	0.86	0.52	345	309
10	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673	4,851
11	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,884
12	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	5,329
13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669	669
14	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	195
	उप योग (ग1)	516.15	328.31	1,29,269	78,928
ग2	राज्य योजना के अंतर्गत				
1	गुजरात	0	0	0	6,626
2	ओडिशा	0	0	0	1,326
3	पश्चिम बंगाल	0	0	0	3,372
	उप योग (ग2)	0	0	0	11,324
	कुल (ग=ग1+ग2)	516.15	328.31	1,29,269	90,252
घ.	आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत				
1	छत्तीसगढ़	11.98	7.19	2,550	0
2	महाराष्ट्र	2.07	1.24	480	0
	कुल (घ)	14.05	8.43	3,030	0
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	4,281.19	3,111.93	9,49,548	1,67,360

*वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण के लिए संस्वीकृत कार्य

नई सौर ऊर्जा स्कीम के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित घरों के विद्युतीकरण को संस्वीकृति

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,675
2	छत्तीसगढ़	1,578
3	झारखंड	2,342
4	कर्नाटक	179
5	मध्य प्रदेश	2,060
6	तेलंगाना	326
7	त्रिपुरा	1,703
	कुल	9,863

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1584

दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

प्रकाश पोर्टल की विशेषताएं

1584. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड, रेलवे और विद्युत सेवाओं के मध्य कोयला आपूर्ति का बेहतर समन्वय स्थापित करने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पोर्टल की विशेषताओं का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पोर्टल के माध्यम से सभी विभागों के बीच समन्वय से प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : सभी हितधारकों अर्थात विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, रेलवे और विद्युत यूटिलिटी के बीच कोयला आपूर्ति के लिए बेहतर समन्वय के लिए दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 को प्रकाश (आपूर्ति सामंजस्य के माध्यम से विद्युत रेल कोयला उपलब्धता) पोर्टल लॉन्च किया गया था।

पोर्टल को सम्पूर्ण कोयला आपूर्ति श्रृंखला अर्थात आपूर्ति छोर (खानों) पर कोयला स्टॉक, नियोजित कोयले की मात्रा/रेक, पारगमन में कोयले की मात्रा और विद्युत उत्पादन स्टेशन पर कोयले की उपलब्धता से लेकर विभिन्न स्टैकहोल्डरों जैसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (सीआरआईएस) और कोयला कंपनियों से आंकड़े प्राप्त करके मानचित्रण और निगरानी में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

इसके बाद, राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) विकसित किया गया और इस प्लेटफॉर्म पर विद्युत क्षेत्र का सारा डेटा उपलब्ध है। कोयले से संबंधित डेटा की आवश्यकता अब एनपीपी से पूरी की जा रही है।

हितधारकों के बीच समन्वय से कोयले की आवाजाही और विद्युत संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के मुद्दों के समाधान के लिए, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों वाला एक अंतर-मंत्रालयी उप समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में महत्वपूर्ण कोयला स्टॉक की स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1585
दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

स्मार्ट उपभोक्ता मीटर की स्थिति

1585. श्री संजय सेठ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के तहत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्वीकृत और प्रदत्त स्मार्ट उपभोक्ता मीटरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त मिशन के तहत अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में कितने स्मार्ट उपभोक्ता मीटर लगाए गए हैं;

(ग) उक्त मिशन के तहत उक्त जिलों में स्मार्ट मीटर लगाये जाने के लिए आवंटित/संवितरित कुल धनराशि कितनी है और इन निधियों की उपयोग की स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य में स्मार्ट मीटर लगाये जाने में चुनौतियों या बाधाओं का सामना करना पड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में कोई परियोजना क्रियान्वित नहीं की गई। यह स्कीम दिनांक 31.03.2024 को बंद हो गई है।

भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जुलाई 2021 में 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय और 97,631 करोड़ रुपये के सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस) के साथ संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई। इस स्कीम का उद्देश्य वितरण यूटिलिटी अर्थात डिस्कॉम्स/विद्युत विभागों को वितरण क्षेत्र में प्रचालनात्मक क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने के लिए समर्थन प्रदान करना है, ताकि गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा सके।

इस स्कीम के अंतर्गत, हानि न्यूनीकरण और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट उपभोक्ता मीटर कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

संस्वीकृत मीटर (सं.)	अवाई किए गए (सं.)	संस्थापित (सं.)
2,69,79,055	2,69,79,055	3,82,704

उपर्युक्त संस्वीकृत कार्यों के लिए, 2,857 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता आवंटित की गई है। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि जारी की जाएगी।

(घ) : स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के कार्यान्वयन में कुछ प्रारंभिक चुनौतियाँ थीं:

- i. स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) का समय पर जारी होना - एक नई पहल
- ii. निविदाओं को समय पर अंतिम रूप देना और कार्य सौंपना।
- iii. समझौतों पर समय पर हस्ताक्षर।
- iv. व्यापक उपभोक्ता सहभागिता कार्यनीति लागू करना

हालांकि, विद्युत मंत्रालय नोडल एजेंसियों (आरईसी लिमिटेड/पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड) के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है और संस्वीकृत कार्यों की प्रगति के लिए राज्यों/डिस्कॉम के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। स्मार्ट मीटरों को सुचारू रूप से लगाने के लिए परामर्श और मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ भी जारी की गई हैं। परिणामस्वरूप, कार्यों में तेज़ी आनी शुरू हो गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1586

दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

आरडीएसएस के तहत स्मार्ट मीटर की लागत

1586. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्मार्ट मीटर की लागत वास्तव में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत दी जा रही राजसहायता से काफी अधिक है और स्मार्ट मीटर योजना में लागत विसंगतियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आरडीएसएस योजना के तहत प्रदान की जा रही राजसहायता की राशि बढ़ाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत प्रति उपभोक्ता मीटर 900 रुपये, प्रति वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) मीटर 3,450 रुपये तथा प्रति फीडर मीटर 6,300 रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जा रहा है। विशेष श्रेणी राज्यों के लिए यह शुल्क प्रति उपभोक्ता मीटर 1,350 रुपये, प्रति डीटी मीटर 5,175 रुपये तथा प्रति फीडर मीटर 9,450 रुपये है। दिसंबर, 2023 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पात्र सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के 50% का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, जिसका लाभ बिहार और असम राज्यों ने उठाया है।

कार्यान्वयन के बाद और प्रचालन संबंधी समस्याओं से बचने और डिस्कॉम को सहायता प्रदान करने के लिए, आरडीएसएस दिशानिर्देश एएमआईएसपी (उन्नत मीटरिंग अवसंरचना सेवा प्रदाता) के माध्यम से टोटेक्स मोड (अर्थात् कुल व्यय जिसमें पूंजीगत और प्रचालन व्यय दोनों शामिल हैं) पर स्मार्ट मीटरों की शुरुआत को अनिवार्य बनाते हैं। टोटेक्स मोड में स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन से यह घटक स्व-वित्तपोषित हो जाता है और डिस्कॉम को पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम भुगतान नहीं करना पड़ता। यह उम्मीद की जाती है कि डिस्कॉम बिलिंग और संग्रह में सुधार के परिणामस्वरूप बड़े हुए राजस्व के माध्यम से प्रति माह प्रति मीटर लागत का वित्तपोषण करने में सक्षम होंगे। एएमआईएसपी स्थापना के बाद मीटरिंग अवसंरचना की आपूर्ति, रखरखाव और प्रचालन के लिए जिम्मेदार होगा। एएमआईएसपी को शुरू में उसके पूंजीगत व्यय के एक हिस्से का भुगतान किया जाएगा और शेष भुगतान प्रचालन अवधि (7-10 वर्ष) के दौरान प्रति मीटर प्रति माह के आधार पर किया जाएगा, जो सेवा स्तर समझौते (एसएलए) से जुड़ा हुआ है। यह दृष्टिकोण परियोजना के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान सेवाओं की डिलीवरी के लिए एएमआईएसपी की एंड-टू-एंड जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है।

(ग) और (घ) : आरडीएसएस के तहत प्रदान की जा रही अनुदान राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह स्मार्ट मीटर की संस्थापना के लिए वितरण यूटिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की गई एक निश्चित राशि है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1587
दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

ईवी चार्जिंग अवसंरचना, 2024 के लिए दिशानिर्देश

1587. डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:
श्री भट्टाचार्जी राजीव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रव्यापी कनेक्टेड ईवी चार्जिंग अवसंरचना को संबल प्रदान करने के लिए जारी किए गए "ईवी चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2024" का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य-वार स्थापित किए गए चार्जिंग स्टेशनों और आगामी वर्षों में स्थापित किए जाने वाले चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार आसान पहुंच के लिए चार्जिंग स्टेशनों के स्थान को नेविगेशन मानचित्र पर डालने की योजना बना रही है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 17 सितंबर 2024 को "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की संस्थापना और प्रचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश देश में जुड़े हुए और अंतर-प्रचालनीय ईवी चार्जिंग अवसंरचना नेटवर्क बनाने के लिए मानकों और प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार करते हैं। इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली कनेक्शन की सुविधा के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों के मालिक 150 किलोवाट तक के लोड के लिए लो टेंशन (एलटी) कनेक्शन का विकल्प चुन सकते हैं।
- सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकारी/सार्वजनिक कंपनियों को तथा राजस्व साझाकरण मॉडल के माध्यम से किसी भी कंपनी को सस्ती कीमत पर भूमि उपलब्ध कराना।

- iii. ईवी चार्जिंग स्टेशनों को विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ को सरल बनाया गया है। टैरिफ को एकल भाग बनाने और दिनांक 31 मार्च, 2028 तक "आपूर्ति की औसत लागत" तक सीमित रखने की सलाह दी गई है।
- iv. आवासीय मालिक ईवी चार्जिंग के लिए मौजूदा बिजली कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं या समर्पित ईवी चार्जिंग टैरिफ के साथ वितरण लाइसेंसधारी से अलग मीटर कनेक्शन का विकल्प चुन सकते हैं।
- v. सौर ऊर्जा के माध्यम से चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा समय (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान चार्जिंग को प्रोत्साहित किया गया है।
- vi. सार्वजनिक एवं सामुदायिक ईवी चार्जिंग स्टेशन द्वारा ग्राहक से लिए जाने वाले सेवा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है।
- vii. जुड़े हुए और अंतर-प्रचालनीय ईवी चार्जिंग अवसंरचना बनाने के लिए ओपन चार्ज प्वाइंट प्रोटोकॉल (ओसीपीपी), ओपन चार्ज प्वाइंट इंटरफेस (ओसीपीआई) और यूनिफाइड एनर्जी इंटरफेस (यूईआई) जैसे खुले संचार प्रोटोकॉल के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है।

(ख) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 28 नवंबर, 2024 तक 25,202 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम के तहत आने वाले वर्षों में लगभग 72,000 चार्जिंग संस्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय, ने ईवी उपयोगकर्ताओं को निकटतम सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों का पता लगाने की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2022 में ईवी यात्रा पोर्टल विकसित किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1588
दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

ई-वाहनों को बढ़ावा देना

1588. श्री ए.ए. रहीम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन और अन्य बुनियादी ढांचे स्थापित किए गए थे; और

(ख) बुनियादी ढांचे की स्थापना और ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नोडल एजेंसियों को कितनी धनराशि आवंटित की गई थी?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचना संस्थापित नहीं करता है। तथापि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जो कि एमओपी के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार वर्षों के दौरान विभिन्न सार्वजनिक और निजी कंपनियों द्वारा 23,749 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) संस्थापित किए गए हैं।

(ख) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 9 राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) एक्सेलेरेटर सेल स्थापित करने, राज्यों में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसंरचना की तैनाती में तेजी लाने और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा के लिए राज्य नोडल एजेंसियों को दिनांक 28 नवंबर, 2024 तक 11 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1589

दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

आयातित कोयले का अनिवार्य मिश्रण

1589. श्री संदीप कुमार पाठक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014-19 और 2019-24 के बीच कितनी बार, कब-कब और कितने समय के लिए विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले में न्यूनतम 10% आयातित कोयला मिलाने का निर्देश दिया गया था और इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त अवधि में ताप विद्युत संयंत्रों ने कौन-कौन सी भारतीय कंपनियों के माध्यम से आयातित कोयले की खरीद की और कितनी मात्रा में तथा औसतन किस दर पर कोयला खरीदा गया;

(ग) उक्त अवधि में भारत के कोयला उत्पादन, कोयले की कुल मांग और घरेलू उत्पादन द्वारा पूरी की गई मांग का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले की कमी और इस हेतु कोयले के आयात की आवश्यकता पड़ने के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ): वर्तमान आयात नीति के अनुसार, कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा जाता है और उपभोक्ता अपनी व्यावसायिक विवेक के आधार पर अपनी वरीयता और स्रोत के अनुसार कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रत्येक उत्पादक कंपनी (जेनको) - केंद्रीय/राज्य/स्वतंत्र विद्युत उत्पादक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कोयला स्वयं खरीदते हैं।

विद्युत संयंत्रों द्वारा आयातित कोयले का सम्मिश्रण वर्ष 2009 से किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान आवश्यकता के निमित्त घरेलू कोयले में कमी का अनुमान था और इसलिए विद्युत संयंत्रों को सम्मिश्रण प्रयोजनों के लिए वर्ष 2014-15 में 54 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2015-16 में 73 मीट्रिक टन कोयला आयात करने की सलाह दी गई थी।

कोविड के बाद विद्युत की मांग तेजी से बढ़ी, जबकि उसी दौरान आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों से उत्पादन कम हुआ और भारी बारिश के कारण घरेलू कोयला कंपनियों से कोयले की आपूर्ति में कुछ रुकावट आई। परिणामस्वरूप, सितंबर 2021 से विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक में भारी कमी आई। इसलिए,

दिसंबर 2021 में, विद्युत मंत्रालय ने राज्य जेनको और आईपीपी को वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी आवश्यकताओं का 4% और केंद्रीय जेनको को 10% आयात करने की सलाह दी। अप्रैल, 2022 के माह के दौरान, विद्युत संयंत्रों में विद्युत की मांग और कोयले की खपत अप्रैल, 2021 की तुलना में लगभग 12% बढ़ गई। विद्युत की उच्च मांग और कोयले की प्राप्ति खपत से कम होने के कारण कोयले के स्टॉक में कमी को देखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 28.04.2022 को राज्यों और आईपीपी को मानसून के मौसम के दौरान पर्याप्त कोयले का स्टॉक बनाए रखने के लिए अपनी आवश्यकता के 10% की दर से मिश्रण के लिए कोयले का आयात करने की सलाह दी।

अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान घरेलू कोयले की आपूर्ति और कोयले की खपत के बीच का अंतर लगभग 1.6 लाख टन/दिन था। इसके अलावा, सितंबर 2022 और जनवरी 2023 के माहों के बीच दैनिक कोयले की खपत और घरेलू कोयले की दैनिक आवक के बीच का अंतर 2.65 लाख टन से 0.5 लाख टन के बीच था। इसलिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.01.2023 को केंद्र, राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनियों और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को मिश्रण के लिए पारदर्शी प्रतिस्पर्धी खरीद के माध्यम से वजन के हिसाब से 6% की दर से कोयले का आयात करने की सलाह दी, ताकि सितंबर 2023 तक सुचारु प्रचालन के लिए उनके विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त कोयला स्टॉक हो सके।

इसके अलावा, घरेलू कोयले की प्राप्ति में लगातार उच्च अंतराल के मद्देनजर और परिवर्तनशील मानसून वर्षा के कारण हाइड्रो उत्पादन में कमी को ध्यान में रखते हुए, जेनको को दिनांक 31.03.2024 तक आयातित कोयले को 6% (भार) के हिसाब से मिश्रित करने की सलाह दी गई थी। इसके बाद, गर्मियों के महीनों के दौरान विद्युत की मांग को ध्यान में रखते हुए और पूरे देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 04.03.2024 को एडवाइजरी को जून 2024 तक बढ़ा दिया।

विद्युत मंत्रालय ने जेनको को कोयला आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की और दिनांक 27.06.2024 को 4% कम मिश्रण के साथ एडवाइजरी को दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ा दिया। अंत में, कोयले के स्टॉक में सुधार और घरेलू कोयले की निरंतर आपूर्ति के कारण, मिश्रण के उद्देश्य से कोयले के आयात के लिए जेनको को जारी एडवाइजरी दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 से आगे नहीं बढ़ाई गई।

देश में वर्ष 2014-15 से राज्यवार कोयला उत्पादन **अनुबंध-I** पर है तथा घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की कुल मांग तथा वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक घरेलू उत्पादन द्वारा पूरी की गई मांग **अनुबंध-II** पर दी गई है:

सरकार ने घरेलू कोयले का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने तथा आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. कोयला खदानों के प्रचालनीकरण में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल।
- ii. कोयला खदानों के शीघ्र प्रचालनीकरण के लिए विभिन्न अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करने हेतु कोयला ब्लॉक आवंटियों की सहायता के लिए परियोजना निगरानी यूनिट।
- iii. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।
- iv. कैप्टिव खान मालिकों (परमाणु खनिजों के अलावा) को अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक खुले बाजार में बेचने में सक्षम बनाने हेतु, खदान से जुड़े अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकता

को पूरा करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (एमएमडीआर अधिनियम) को लागू करना।

- v. राजस्व साझेदारी के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। वाणिज्यिक खनन स्कीम के तहत, उत्पादन की निर्धारित तिथि से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) पर प्रोत्साहन दिया गया है।
- vi. वाणिज्यिक कोयला खनन की शर्तें और नियम बहुत उदार हैं, जिनमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है, अग्रिम राशि कम है, मासिक भुगतान के विरुद्ध अग्रिम राशि का समायोजन है, कोयला खदानों को चालू करने के लिए अनुकूलन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार दक्षता मापदंड हैं, पारदर्शी बोली प्रक्रिया है, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व साझाकरण मॉडल है।
- vii. वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को मानक आवश्यकता के 100% तक बढ़ा दिया गया है, ऐसे मामलों में जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता के 90% तक घटा दिया गया था (गैर-तटीय) या जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता के 70% तक घटा दिया गया था (तटीय विद्युत संयंत्र)। एसीक्यू में वृद्धि से घरेलू कोयले की आपूर्ति में वृद्धि होगी, जिससे आयात निर्भरता कम होगी।
- viii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा शुरूआती स्तर और वार्षिक अनुबंधित मात्रा के स्तर पर ध्यान दिए बिना कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के निर्णय से आयात पर निर्भरता कम होगी।
- ix. कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय में दिनांक 29.05.2020 को एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। कोयला आयात प्रतिस्थापन पर भावी रोडमैप पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला आयात प्रतिस्थापन पर एक कार्यनीति पत्र शुरू किया गया है।

देश में वर्ष 2014-15 से राज्य-वार कोयला उत्पादन का विवरण

(आंकड़े मिलियन टन (एमटी) में)

वर्ष/राज्य	असम	छत्तीसगढ़	जम्मू और कश्मीर	झारखंड	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मेघालय	ओडिशा	तेलंगाना	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	कुल
2014-15	0.779	134.764	0.013	124.143	87.609	38.257	2.524	123.627	52.536	14.957	29.97	609.179
2015-16	0.487	130.605	0.013	121.067	107.714	38.351	3.712	138.461	60.38	12.689	25.751	639.230
2016-17	0.6	138.525	0.01	126.435	105.013	40.559	2.308	139.359	61.336	16.056	27.667	657.868
2017-18	0.781	142.546	0.014	123.297	112.127	42.219	1.529	143.328	62.01	18.309	29.24	675.400
2018-19	0.784	161.893	0.013	134.666	118.661	49.818	-	144.312	65.16	20.275	33.136	728.718
2019-20	0.517	157.745	0.014	131.763	125.726	54.746	-	143.016	65.703	18.03	33.614	730.874
2020-21	0.036	158.41	0.01	123.428	132.531	47.435	-	154.151	52.603	17.016	30.463	716.083
2021-22	0.028	154.12	0.011	130.104	137.975	56.528	-	185.069	67.233	18.073	29.069	778.210
2022-23	0.2	184.895	0.01	156.483	146.029	63.62	-	218.981	69.637	20.54	32.796	893.191
2023-24	0.2	207.255	0.008	191.158	159.228	69.282	-	239.402	72.521	21.51	37.262	997.826

घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 के दौरान कोयले की राज्यवार घरेलू प्राप्ति और खपत का विवरण

(आंकड़े (मिलियन टन में))

राज्य	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	घरेलू प्राप्ति	कुल खपत	घरेलू प्राप्ति	कुल खपत	घरेलू प्राप्ति	कुल खपत	घरेलू प्राप्ति	कुल खपत	घरेलू प्राप्ति	कुल खपत
दिल्ली	3.2	3.2	1.5	1.8	1.2	1.2	1.1	1.1	0.8	0.9
हरियाणा	15.2	18.9	14.8	14.3	11.4	12.4	14.1	16.7	17.1	15.8
पंजाब	11.3	11.5	11.0	11.6	12.3	14.1	12.5	15.0	15.0	15.8
राजस्थान	16.4	19.7	15.0	18.6	16.6	19.2	16.0	18.1	23.9	21.4
उत्तर प्रदेश	70.7	73.7	72.5	72.1	74.8	76.6	77.0	78.7	73.8	72.2
छत्तीसगढ़	51.0	52.5	55.8	56.1	65.9	65.4	69.1	70.2	75.7	75.5
गुजरात	11.9	13.8	10.1	10.8	8.3	9.1	11.0	13.4	11.8	13.3
मध्य प्रदेश	43.2	44.5	54.4	54.3	52.7	54.5	68.0	67.9	73.6	74.6
महाराष्ट्र	47.8	53.8	56.8	58.1	50.1	54.8	60.2	63.6	70.3	69.1
आंध्र प्रदेश	21.7	24.8	26.2	29.0	29.3	34.6	29.1	37.2	29.5	37.5
कर्नाटक	11.5	12.5	12.6	11.3	11.3	12.0	12.5	12.1	13.8	13.6
तमिलनाडु	16.0	23.4	18.7	26.0	19.2	27.5	22.9	25.5	23.0	27.6
तेलंगाना	25.9	26.5	24.5	25.2	25.4	26.3	32.1	31.9	31.7	31.4
बिहार	14.1	15.3	15.4	16.1	18.2	19.0	20.2	20.5	23.3	22.1
झारखंड	14.0	14.0	15.6	15.7	14.6	14.9	15.0	16.3	16.6	16.2
ओडिशा	28.9	32.1	32.9	36.2	37.7	38.6	32.5	32.3	31.0	31.6
पश्चिम बंगाल	45.7	46.3	42.6	43.1	45.2	47.1	44.7	46.6	49.2	48.2
असम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.9	0.9	1.7	1.6
सभी राज्य-डीसीबी	448.4	486.5	480.4	500.2	494.8	528.0	538.6	568.1	582.0	588.4

राज्य	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	घरेलू प्राप्ति	कुल खपत	घरेलू प्राप्ति	कुल खपत	घरेलू प्राप्ति	कुल खपत	घरेलू प्राप्ति	कुल खपत	घरेलू प्राप्ति	कुल खपत
दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
हरियाणा	12.0	10.9	7.5	9.1	14.3	15.0	20.3	21.6	20.0	19.3
पंजाब	10.7	12.1	10.2	11.1	14.8	15.3	20.9	20.6	21.4	21.1
राजस्थान	24.2	22.3	20.4	21.4	24.6	24.5	30.3	31.2	32.1	33.6
उत्तर प्रदेश	75.0	74.0	73.8	76.5	83.7	84.6	96.1	98.2	100.1	99.7
छत्तीसगढ़	79.1	78.9	93.3	92.8	101.4	101.9	102.4	104.1	116.7	116.2
गुजरात	9.8	9.9	7.6	9.2	14.5	14.6	14.9	15.3	16.0	15.8
मध्य प्रदेश	75.4	74.6	75.8	77.6	83.8	83.7	86.0	86.6	91.9	93.4
महाराष्ट्र	65.7	67.1	58.9	63.3	74.3	77.2	81.4	85.8	89.0	90.8
आंध्र प्रदेश	31.2	38.4	20.3	29.5	31.7	37.0	38.4	44.4	42.7	49.1
कर्नाटक	12.5	11.9	8.5	9.5	15.9	16.4	20.0	21.0	24.9	25.4
तमिलनाडु	17.6	22.9	18.8	20.5	28.5	27.1	30.8	31.8	30.4	31.7
तेलंगाना	29.6	29.9	25.6	26.5	31.2	31.2	32.5	32.4	37.0	36.9
बिहार	25.5	25.3	24.8	24.6	30.0	30.1	34.9	36.6	40.7	40.9
झारखंड	16.6	16.3	16.5	16.8	17.7	17.8	18.7	19.2	23.7	23.2
ओडिशा	32.4	33.1	41.8	42.1	45.3	44.5	45.4	46.9	48.8	48.2
पश्चिम बंगाल	49.4	47.3	45.6	47.0	53.5	55.2	55.5	57.9	60.0	59.3
असम	2.7	2.3	1.4	1.7	2.4	2.5	3.0	3.0	3.2	3.1
सभी राज्य-डीसीबी	569.5	577.3	550.8	579.1	667.6	678.8	731.6	756.5	798.6	807.8

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1590
दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

लंबित विद्युत परियोजनाएं

1590. श्री हर्ष महाजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बिजली क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर-सरकारी और निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिजली उत्पादन कंपनियों के लाभ और हानि का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान में कई बिजली परियोजनाएं लंबित हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और हिमाचल प्रदेश राज्य सहित स्वीकृत और लंबित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में मौजूद केन्द्रीय, राज्य अथवा संयुक्त भागीदारी के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों, विद्युत निगमों, प्रबन्ध बोर्डों का ब्यौरा अनुबंध-1(क) पर है। निजी क्षेत्र की कम्पनियों तथा सहकारी समितियों (यूटिलिटीज) का ब्यौरा अनुबंध-1(ख) पर है। विद्युत क्षेत्र में कार्यरत विद्युत व्यापार कम्पनियों का का ब्यौरा अनुबंध-1(ग) पर है। ये सूचियाँ सांकेतिक हैं तथा सम्पूर्ण नहीं हैं।

(ख) : विद्युत मंत्रालय के अधीन विद्युत उत्पादन कम्पनियों और दामोदर घाटी निगम के पिछले दो वित्तीय वर्षों के कर-पश्चात लाभ (पीएटी) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(ऑकड़े करोड़ रुपये में)

विद्युत उत्पादन कंपनी का नाम	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएटी	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएटी
एनटीपीसी लिमिटेड	18,079	17,197
टीएचडीसी लिमिटेड	589	670
एसजेवीएन लिमिटेड	911	1359
एनएचपीसी लिमिटेड	3744	3834
नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको)	548	397
दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी)	811	704

(ग) : विद्युत अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन की संस्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण कर सकती है, बशर्ते कि वह ग्रिड से कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती हो। तदनुसार, विभिन्न विद्युत उत्पादन परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

हालांकि, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8 (1) के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी जो जलविद्युत उत्पादन स्टेशन संस्थापित करना चाहती है, उसे प्राधिकरण की सहमति के लिए एक योजना तैयार करनी होगी जिसमें पूंजीगत व्यय उस राशि से अधिक होने का अनुमान है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित (वर्तमान में ₹1000 करोड़) किया गया है और प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी। तदनुसार, देश में 19,214 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 26 जलविद्युत परियोजनाओं और 6020 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 05 पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) को सीईए द्वारा सहमति दी गई है, जिनका निर्माण अभी शुरू होना है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहित अनुमोदित जलविद्युत परियोजनाओं और पीएसपी का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** पर है।

देश में विद्युत उत्पादन/पारेषण/वितरण के लिए मौजूद सरकारी कंपनियों, विद्युत निगमों, केन्द्रीय, राज्य या संयुक्त भागीदारी के अंतर्गत प्रबंधन बोर्डों का ब्यौरा

क्रम सं.	नाम	मुख्यालय	सरकार का स्वामित्व
(क) उत्पादन उपक्रम			
1	ए.पी. गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हैदराबाद	एपी एवं प्राइवेट इंडस्ट्रीज का संयुक्त उद्यम*
2	आंध्र प्रदेश पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
3	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
4	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	नई दिल्ली	केंद्रीय क्षेत्र (जेवी)
5	असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गुवाहाटी	असम
6	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	पटना	केंद्रीय क्षेत्र (जेवी)
7	भावनगर एनर्जी कंपनी लिमिटेड	गांधीनगर	गुजरात
8	बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	पटना	बिहार
9	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	रायपुर	छत्तीसगढ़
10	जीएसपीसी पिपावाव पावर कंपनी लिमिटेड	गांधीनगर	गुजरात
11	गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड	अहमदाबाद	गुजरात
12	गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	वडोदरा	गुजरात
13	गुजरात राज्य ऊर्जा उत्पादन लिमिटेड	गांधीनगर	गुजरात
14	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	पंचकूला	हरियाणा
15	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	शिमला	हिमाचल प्रदेश
16	इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	दिल्ली	दिल्ली
17	जेएंडके स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर सरकार
18	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	रांची	झारखंड
19	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	नई दिल्ली	केंद्रीय क्षेत्र (जेवी)
20	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बेंगलुरु	कर्नाटक
21	एम.पी. पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	जबलपुर	मध्य प्रदेश
22	मचकुंड जल विद्युत परियोजना	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश/ओडिशा
23	महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	मुंबई	महाराष्ट्र
24	मेघालय पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	शिलांग	मेघालय
25	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	दिल्ली	केंद्रीय क्षेत्र (जेवी)
26	नबीनगर पावर जनरेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	नई दिल्ली	केंद्रीय
27	नर्मदा जलविद्युत विकास निगम लिमिटेड	भोपाल	केंद्रीय
28	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	फरीदाबाद	केंद्रीय
29	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	नई दिल्ली	केंद्रीय
30	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नेवेली	केंद्रीय
31	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	चेन्नई	तमिलनाडु
32	नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शिलांग	केंद्रीय
33	एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड	नई दिल्ली	केंद्रीय क्षेत्र (जेवी)
34	एनटीपीसी-तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड	चेन्नई	केंद्रीय क्षेत्र (जेवी)
35	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	मुंबई	केंद्रीय
36	ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भुवनेश्वर	ओडिशा
37	ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भुवनेश्वर	ओडिशा
38	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड	नई दिल्ली	केंद्रीय क्षेत्र (जेवी)
39	पैच हाइडल पावर स्टेशन	तोतलादोह	मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र
40	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	दिल्ली	दिल्ली

41	पुडुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पुडुचेरी	पुडुचेरी
42	रायचूर पावर कारपोरेशन लिमिटेड	बंगलुरु	राज्य (जेवी)
43	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	जयपुर	राजस्थान
44	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	नई दिल्ली	केंद्रीय क्षेत्र (जेवी)
45	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड	गांधीनगर	गुजरात
46	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	शिमला	केंद्रीय क्षेत्र (जेवी)
47	सिक्किम पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	गंगटोक	सिक्किम
48	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड	कोठागुडम	तेलंगाना
49	टीबी डैम तुंगभद्रा बोर्ड	बेल्लारी	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
50	तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड	नई दिल्ली	राज्य क्षेत्र (जेवी)
51	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	ऋषिकेश	उत्तराखंड
52	तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	हैदराबाद	तेलंगाना
53	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	रांची	झारखंड
54	द दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
55	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
56	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
57	उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड	देहरादून	उत्तराखंड
58	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड	कोलकाता	पश्चिम बंगाल सरकार
(ख) वितरण उपक्रम			
1	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	अजमेर	राजस्थान
2	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
3	असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	गुवाहाटी	असम
4	बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	बंगलुरु	कर्नाटक
5	बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम	मुंबई	महाराष्ट्र
6	चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड	मैसूर	कर्नाटक
7	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	रायपुर	छत्तीसगढ़
8	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोच्चि	कोच्चि	केरल
9	कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सीएसईजेडए), कोच्चि	कोच्चि	केरल
10	कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सीएसईजेडए), कोच्चि	कोच्चि	केरल
11	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	सूरत	गुजरात
12	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	हिसार	हरियाणा
13	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	आगरा	उत्तर प्रदेश
14	दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट	गांधीधाम, कच्छ	गुजरात
15	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सिल्वासा	दादरा नगर हवेली
16	ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ एपी लिमिटेड	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश.
17	गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	कलबुर्गी	कर्नाटक
18	हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	हुबली	कर्नाटक
19	इन्फोपार्क	कोच्चि	केरल
20	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	जयपुर	राजस्थान
21	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	जम्मू.....	जम्मू एवं कश्मीर
22	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	रांची	झारखंड
23	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	जोधपुर	राजस्थान
24	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	कानपुर	उत्तर प्रदेश
25	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर
26	एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कारपोरेशन लिमिटेड	भोपाल	मध्य प्रदेश
27	एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कारपोरेशन लिमिटेड	इंदौर	मध्य प्रदेश
28	एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कारपोरेशन लिमिटेड	जबलपुर	मध्य प्रदेश
29	मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	वडोदरा	गुजरात

30	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
31	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	मुंबई	महाराष्ट्र
32	मैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	मंगलोर	कर्नाटक
33	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	इम्फाल	मणिपुर
34	मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	शिलांग	मेघालय
35	सैन्य इंजीनियरिंग सेवाएं	दिल्ली	दिल्ली
36	सैन्य इंजीनियरिंग सेवाएं	रांची	झारखंड
37	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	नई दिल्ली	दिल्ली
38	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	पटना	बिहार
39	उत्तरी विद्युत वितरण निगम तेलंगाना लिमिटेड	वारंगल	तेलंगाना
40	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	राजकोट	गुजरात
41	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	मेरठ	उत्तर प्रदेश
42	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
43	रबर पार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एर्नाकुलम	केरल
44	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	पटना	बिहार
45	साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ एपी लिमिटेड	तिरुपति	आंध्र प्रदेश
46	साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड	हैदराबाद	तेलंगाना
47	टेक्नोपार्क	तिरुवनंतपुरम	केरल
48	त्रिशूर कॉर्पोरेशन	त्रिशूर	केरल
49	उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	मेहसाणा	गुजरात
50	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	पंचकुला	हरियाणा
51	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	देहरादून	उत्तराखंड
52	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	कोलकाता	पश्चिम बंगाल सरकार
(ग) पारेषण उपक्रम			
1	असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गुवाहाटी	असम
2	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	पटना	बिहार
3	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	रायपुर	छत्तीसगढ़
4	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	दिल्ली	दिल्ली
5	गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वडोदरा	गुजरात
6	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	पंचकुला	हरियाणा
7	झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	रांची	झारखंड
8	जम्मू और कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर
9	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बैंगलुरु	कर्नाटक
10	एमपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जबलपुर	मध्य प्रदेश
11	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	मुंबई	महाराष्ट्र
12	मेघालय पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शिलांग	मेघालय
13	ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भुवनेश्वर	ओडिशा
14	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुरुग्राम	केंद्रीय
15	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड	देहरादून	उत्तराखंड
16	पंजाब पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पटियाला	पंजाब
17	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	जयपुर	राजस्थान
18	तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	चेन्नई	तमिलनाडु
19	ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
20	ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड	हैदराबाद	तेलंगाना
21	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल)	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
22	पश्चिम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	कोलकाता	पश्चिम बंगाल सरकार
(घ) होल्डिंग उपक्रम			
1	बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	पटना	बिहार

2	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	रायपुर	छत्तीसगढ़
3	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	वडोदरा	गुजरात
4	जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर
5	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	रांची	झारखंड
6	महाराष्ट्र एसईबी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	मुंबई	महाराष्ट्र
7	मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शिलांग	मेघालय
(इ) उत्पादन + वितरण उपक्रम			
1	लद्दाख पावर कंपनी लिमिटेड	लेह	लद्दाख
2	पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पटियाला	पंजाब
3	तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	चेन्नई	तमिलनाडु
(च) उत्पादन + पारेषण उपक्रम			
1	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान
2	दामोदर घाटी निगम	कोलकाता	केंद्रीय
(छ) उत्पादन + वितरण + पारेषण उपक्रम			
1	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	शिमला	हिमाचल प्रदेश
2	केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	तिरुवनंतपुरम	केरल
3	त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अगरतला	Tripura
(ज) उत्पादन + वितरण + होल्डिंग उपक्रम			
1	मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड	इम्फाल	मणिपुर
(झ) वितरण उपक्रमों के लिए होल्डिंग कंपनियां			
1	ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड (ग्रिडको)	भुवनेश्वर	ओडिशा
2	एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	जबलपुर	मध्य प्रदेश
3	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
(ञ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विद्युत विभाग			
(I) राज्य विद्युत विभाग			
1	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	राज्य
2	गोवा	पणजी	राज्य
3	मिजोरम	आइजोल	राज्य
4	नागालैंड	कोहिमा	राज्य
5	सिक्किम	गंगटोक	राज्य
(ii) संघ राज्य क्षेत्र विद्युत विभाग			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	विद्युत विभाग
2	चंडीगढ़	चंडीगढ़	विद्युत विभाग
3	दमन और दीव	दमन	विद्युत विभाग
4	लद्दाख	लेह	विद्युत विभाग
5	लक्षद्वीप	कवराती	विद्युत विभाग
6	पुदुचेरी	पुदुचेरी	विद्युत विभाग

निजी क्षेत्र और सहकारी समितियों की कंपनियों का विवरण (यूटिलिटीज)

क्रम सं.	कंपनी का नाम	राज्य का नाम
क. उत्पादन (पारंपरिक)		
1	अप्रावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	हरियाणा
2	एडी हाइड्रो पावर लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश
3	एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश
4	हिमाचल बस्पा पावर कंपनी लिमिटेड.	हिमाचल प्रदेश
5	आईए एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश
6	लैंको बुधिल हाइड्रो पावर लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश
7	मलाना पावर कंपनी	हिमाचल प्रदेश
8	जीएमआर बाजोली होली हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश
9	हिमाचल सोरंग पावर प्राइवेट लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश
10	जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड	पंजाब
11	नाभा पावर लिमिटेड	पंजाब
12	तलवंडी साबो पावर लिमिटेड	पंजाब
13	अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड	राजस्थान
14	श्री सीमेंट लिमिटेड	राजस्थान
15	राजवेस्ट पावर लिमिटेड	राजस्थान
16	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
17	ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
18	लैंको अनपरा पावर लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
19	प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
20	रोजा पावर सप्लाय कंपनी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
21	अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड	उत्तराखण्ड
22	गामा इंफ्राप्राॅप प्राइवेट लिमिटेड	उत्तराखण्ड
23	जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड	उत्तराखण्ड
24	एलएंडटी उत्तरांचल हाइड्रोपावर लिमिटेड	उत्तराखण्ड
25	श्रवथी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	उत्तराखण्ड
26	एसीबी (इंडिया) लिमिटेड	छत्तीसगढ़
27	भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	छत्तीसगढ़
28	डीबी पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
29	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड	छत्तीसगढ़
30	जिंदल पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
31	कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड	छत्तीसगढ़
32	केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	छत्तीसगढ़
33	लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
34	मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
35	आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़
36	स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
37	एसवी पावर प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़

38	टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ
39	वंदना एनर्जी एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ
40	वंदना विद्युत लिमिटेड	छत्तीसगढ
41	अडानी पावर लिमिटेड	गुजरात
42	सीजीपीएल(टाटा पावर)	गुजरात
43	सीएलपी(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	गुजरात
44	एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड	गुजरात
45	एस्सार पावर लिमिटेड	गुजरात
46	गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड	गुजरात
47	बीएलए पावर प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश
48	एस्सार पावर एमपी लिमिटेड	मध्य प्रदेश
49	जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड	मध्य प्रदेश
50	झाबुआ पावर लिमिटेड	मध्य प्रदेश
51	एमबी पावर मध्य प्रदेश लिमिटेड	मध्य प्रदेश
52	सासन पावर लिमिटेड	मध्य प्रदेश
53	अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र
54	अडानी पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र
55	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	महाराष्ट्र
56	डोडसन लिंडोबोलम हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र
57	जीएमआर वरोरा एनर्जी लिमिटेड	महाराष्ट्र
58	गुप्ता एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र
59	आइडियल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
60	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	महाराष्ट्र
61	पायनियर गैस पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र
62	सिन्नर थर्मल पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र
63	रतन इंडिया पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र
64	रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	महाराष्ट्र
65	शिरपुर पावर प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र
66	टाटा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड	महाराष्ट्र
67	विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र
68	वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड	महाराष्ट्र
69	रिलायंस सालगांवकर पावर कंपनी लिमिटेड	गोवा
70	गौतमी पावर लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
71	जीएमआर एनर्जी लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
72	जीएमआर राजमुंदरी एनर्जी लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
73	जीएमआर वेमागिरी पावर जनरेशन लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
74	जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
75	हिंदुजा नेशनल पावर कॉर्प लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
76	कोनासीमा गैस पावर लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
77	लैंको कोंडापल्ली पावर लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
78	एलवीएस पावर लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
79	मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
80	रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	आंध्र प्रदेश

81	सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
82	सेम्बकॉर्प गायत्री पावर लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
83	सिंहपुरी एनर्जी लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
84	स्पेक्ट्रम पावर जनरेशन लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
85	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	कर्नाटक
86	श्री रायलसीमा अल्कलीज एंड एलाइड केमिकल लिमिटेड	कर्नाटक
87	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	कर्नाटक
88	उडुपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कर्नाटक
89	बीएसईएस केरल पावर लिमिटेड	केरल
90	अर्क एनर्जी लिमिटेड	तमिलनाडु
91	कोस्टल एनर्जन प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु
92	आईएलएंडएफएस तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड	तमिलनाडु
93	इंडिया बाराथ पावर इंफ्रा लिमिटेड	तमिलनाडु
94	लैंको तंजौर पावर कंपनी लिमिटेड	तमिलनाडु
95	मदुरै पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु
96	पेन्ना पावर लिमिटेड	तमिलनाडु
97	पीपीएन पावर जनरेंटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु
98	सामलपट्टी पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु
99	एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु
100	एसईपीसी पावर प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु
101	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सज लिमिटेड	झारखंड
102	मैथन पावर लिमिटेड	झारखंड
103	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	झारखंड
104	जीएमआर एनर्जी लिमिटेड	ओडिशा
105	इंडिया बाराथ पावर इंफ्रा लिमिटेड	ओडिशा
106	जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड	ओडिशा
107	वेदांता लिमिटेड	ओडिशा
108	सूर्यचक्र पावर कंपनी लिमिटेड	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
109	डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	सिक्किम
110	गति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	सिक्किम
111	स्नेहा काइनेटिक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	सिक्किम
112	मध्य भारत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सिक्किम
113	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
114	हिरणमय एनर्जी लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
ख. वितरण		
1	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	दिल्ली
2	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	दिल्ली
3	नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
4	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)	छत्तीसगढ़
5	के. रहेजा कॉर्पोरेशन	महाराष्ट्र
6	महाराष्ट्र एअरपोर्ट डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (मिहान नागपुर)	महाराष्ट्र
7	निडार यूटिलिटीज पनवेल एलएलपी	महाराष्ट्र

8	राजीव गांधी इन्फो टेक पार्क फेज-II (एसईजेड आईटी पार्क हिंजेवाडी, पुणे)	महाराष्ट्र
9	एस्पेन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सिनफ्रा), एसईजेड, वडोदरा	गुजरात
10	गिफ्ट पावर कंपनी लिमिटेड, गांधीनगर	गुजरात
11	जुबिलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, भरुच	गुजरात
12	मुंद्रा पोर्ट एसईजेड यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड (एमयूपीएल)	गुजरात
13	दहेज एसईजेड लिमिटेड	गुजरात
14	कुप्पम रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
15	कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाय सोसायटी लिमिटेड सिर्सिल्ला	तेलंगाना
16	हुक्केरी रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	कर्नाटक
17	कानन देवान हिल्स प्लांटेशन कंपनी (पी) लिमिटेड	केरल
18	किनेस्को पावर यूटिलिटी लिमिटेड, कोच्चि	केरल
19	टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (टीएसयूआईएसएल)	झारखंड
20	टाटा स्टील लिमिटेड	झारखंड
21	टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	ओडिशा
22	टाटा पावर नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	ओडिशा
23	टाटा पावर साउथर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	ओडिशा
24	टाटा पावर वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	ओडिशा
ग. उत्पादन (पारंपरिक) एवं वितरण		
1	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	दिल्ली
2	टोरेंट पावर लिमिटेड	गुजरात
3	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	महाराष्ट्र
4	अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड	महाराष्ट्र
5	रिलायंस एनर्जी लिमिटेड	गोवा
6	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	कर्नाटक
7	सीईएससी लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
8	इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
घ. पारेषण		
1	अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	गुजरात
2	अपरावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान
3	एस्सेल इन्फ्रा	तेलंगाना
4	जी आर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	हरियाणा
5	इंडी ग्रिड लिमिटेड	महाराष्ट्र
6	कल्पतरु	गुजरात
7	एलएंडटी	कर्नाटक
8	मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रा	कर्नाटक
9	रीन्यू ट्रांसमिशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक
10	रिसर्जेंट पावर वेंचर लिमिटेड	महाराष्ट्र
11	आरएसटीसीएल	महाराष्ट्र
12	स्टरलाइट पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र
13	टाटा पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र
14	टेक्नो इलेक्ट्रिक	पश्चिम बंगाल

पावर ट्रेडिंग कंपनियां

क्रम सं.	ट्रेडिंग लाइसेंसधारी का नाम	जारी करने की तिथि
1	अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	09.06.2004
2	जीएमआर एनर्जी ट्रेडिंग लिमिटेड	14.10.2008
3	मणिकरण पावर लिमिटेड	29.06.2012
4	एनएचपीसी लिमिटेड	23.04.2018
5	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	13.07.2018
6	एनटीपीसी लिमिटेड	08.07.2019
7	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	23.07.2004
8	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	30.06.2004
9	रेफेक्स एनर्जी लिमिटेड	30.08.2018
10	रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	21.03.2022
11	एसजेवीएन लिमिटेड	10.01.2022
12	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	01.04.2014
13	स्टेटक्राफ्ट मार्केट्स (पी) लिमिटेड	21.06.2012
14	टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	09.06.2004
15	अरुणाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (पी) लिमिटेड	11.09.2012
16	क्रिएट एनर्जी (आई) प्राइवेट लिमिटेड	12.02.2009
17	कुंदन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	29.04.2022
18	आरपीजी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	23.09.2008
19	एबीजेए पावर प्राइवेट लिमिटेड	26.04.2011
20	एईआई न्यू एनर्जी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	25.03.2022
21	ग्रीनको एनर्जीज (पी) लिमिटेड	22.01.2008
22	नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड	23.07.2004
23	विजुअल परसेप्ट सोलर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	27.11.2022
24	जेएसडब्ल्यू पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	25.04.2006
25	आदर्श स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड	15.08.2023
26	एंबीशियस पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	16.09.2008
27	इंस्टिंक्ट इंफ्रा एंड पावर लिमिटेड	07.09.2005
28	नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स (पी) लिमिटेड	18.12.2008
29	फिलिप कमोडिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	21.01.2016
30	रीन्यू एनर्जी मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड	28.11.2021
31	श्री सीमेंट लिमिटेड	16.03.2010
32	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	06.05.2023
33	वीईएच ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	26.12.2022
34	ईकेआई पावर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	11.12.2023
35	एल्टीलियम एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड	23.05.2021
36	एम्प एनर्जी मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	15.04.2021
37	एट्रिया एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	20.06.2017
38	कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इंडिया (पी) लिमिटेड	08.06.2011
39	गीता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्ड (पी) लिमिटेड	20.10.2015
40	आइडियल एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	22.03.2022
41	इंस्टेंट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	09.02.2022
42	पावरफुल एनर्जी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	09.08.2022

43	आरईएल पावर ट्रेडिंग एलएलपी	13.12.2022
44	रेन्यूरजा पावर एलएलपी	31.07.2021
45	सैनी पावर ट्रांसैक्टर	06.07.2022
46	शेल एनर्जी मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	22.12.2021
47	शुभेक्षा एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	31.07.2021
48	रेनेसिस सोलर प्राइवेट लिमिटेड	23.04.2023
49	एंबेसी क्लासिक प्राइवेट लिमिटेड	14.07.2023
50	एनर्जीएज पावर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	18.09.2023
51	एल्सा कंसल्टेंसी	23.10.2023
52	विविड पावर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	11.01.2024
53	यग्द्रासिल कमोडिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	11.01.2024
54	रेडियंस ग्रीन मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड	02.03.2024
55	सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 2 प्राइवेट लिमिटेड	15.03.2024
56	नेफा पावर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	21.03.2024
57	एस्सार इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	14.12.2005
58	वेदप्रकाश पावर (पी) लिमिटेड	19.08.2013
59	सरन्यू पावर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	10.02.2015

* लाइसेंस श्रेणी समीक्षाधीन

लाइसेंस की श्रेणी के लिए व्यापार सीमा

श्रेणी I : 7,000 एमयू से अधिक

श्रेणी II : 7,000 एमयू से अधिक नहीं

श्रेणी III : 4,000 एमयू से अधिक नहीं

श्रेणी IV : 2,000 एमयू से अधिक नहीं

श्रेणी V : 500 एमयू से अधिक नहीं

स्रोत - सीईआरसी

जल विद्युत स्कीम और पंप स्टोरेज स्कीम जिन पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमति दी गई है और जिनका निर्माण अभी शुरू होना है

क्रम सं.	स्कीम का नाम	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए की सहमति/मूल्यांकन की तिथि	टिप्पणी
सिक्किम						
1.	तीस्ता स्ट्रीट-IV	केंद्रीय	एनएचपीसी	520	13.05.10	एफसी-II अभी प्राप्त होना बाकी है
उप योग				520		
अरुणाचल प्रदेश						
2.	तवांग स्ट्रीट-I	केंद्रीय	एनएचपीसी	600	10.10.11	एफसी-I और एफसी-II अभी प्राप्त होना बाकी है
3.	तवांग स्ट्रीट-II	केंद्रीय	एनएचपीसी	800	22.09.11	एफसी-II अभी प्राप्त होना बाकी है
4.	हीयो	केंद्रीय	नीपको	240	28.07.15	एफसी-II अभी प्राप्त होना बाकी है
5.	टाटो-I	केंद्रीय	नीपको	186	28.10.15	एफसी-II अभी प्राप्त होना बाकी है
6.	टाटो-II	केंद्रीय	नीपको	700	22.05.12	एफसी-II अभी प्राप्त होना बाकी है
7.	एटालिन	केंद्रीय	एसजेवीएनएल	3097	12.07.13	ईसी और एफसी अभी प्राप्त होना बाकी है
8.	कलाई II	केंद्रीय	टीएचडीसीआईएल	1200	27.03.15	ईसी और एफसी अभी प्राप्त किया जाना है
9.	हिरोंग	केंद्रीय	नीपको	500	10.04.13	ईसी और एफसी अभी प्राप्त किया जाना है
10.	नायिंग	केंद्रीय	नीपको	1000	11.09.13	ईसी और एफसी अभी प्राप्त किया जाना है
11.	अटुनली	केंद्रीय	एसजेवीएनएल	680	02.07.18	ईसी और एफसी अभी प्राप्त किया जाना है
12.	नेफ्रा	केंद्रीय	नीपको	120	11.02.11	नीपको को वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए आगे बढ़ाना
13.	लोअर सियांग	निजी	जेएवीएल	2700	16.02.10	ईसी और एफसी अभी प्राप्त होना बाकी है
14.	देमवे लोआर	निजी	एडीपीएल	1750	20.11.09	परियोजना एनसीएलटी के अधीन है
15.	तेलोंग लोंडा	निजी	जीएमआर	225	16.08.13	एफसी-I और एफसी-II अभी प्राप्त होना बाकी है
उप योग				13798		
मेघालय						
16.	वाह-उमियाम चरण-III	केंद्रीय	नीपको	85	26.07.21	एफसी-I और एफसी-II अभी प्राप्त होना बाकी है
उप योग				85		
हिमाचल प्रदेश						
17.	थाना प्लाउन	राज्य	एचपीपीसीएल	191	07.09.21	एफसी-II अभी प्राप्त होना बाकी है
18.	डुगर	केंद्रीय	एनएचपीसी	500	26.04.22	एफसी-I और एफसी-II अभी प्राप्त होना बाकी है
उप योग				691		
जम्मू और कश्मीर						
19.	किर्थई-II	जेवी	सीवीपीपीएल	930	14.06.19	एफसी-I और एफसी-II अभी प्राप्त होना बाकी है
20.	सावलकोट	केंद्रीय	एनएचपीसी	1856	18.04.18	एफसी-I और एफसी-II अभी प्राप्त होना बाकी है
21.	उरी-I चरण-II जल विद्युत परियोजना	केंद्रीय	एनएचपीसी	240	16.02.23	ईसी और एफसी अभी प्राप्त होना बाकी है
22.	न्यू गांदरवाल	राज्य	जेकेएसपीडीसी	93	10.06.14	अनुबंध पैकेज देने का कार्य प्रगति पर है
उप योग				3119		

क्रम सं.	स्कीम का नाम	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए की सहमति/मूल्यांकन की तिथि	टिप्पणी
नागालैंड						
23.	दिखू	निजी	एनएमपीपीएल	186	31.03.14	ईसी अभी प्राप्त होना बाकी है
उप योग				186		
ओडिशा						
24.	अपर इंद्रावती पीएसपी	राज्य	ओएचपीसी	600	19.08.24	ईसी और एफसी अभी प्राप्त होना बाकी है
उप योग				600		
महाराष्ट्र						
25.	भवानी पीएसपी	निजी	जेएसडब्ल्यू	1500	24.09.24	ईसी और एफसी अभी प्राप्त होना बाकी है
26.	भिवपुरी पीएसपी	निजी	टीपीसीएल	1000	30.09.24	ईसी और एफसी अभी प्राप्त होना बाकी है
उप योग				2500		
उत्तराखंड						
27.	कोटलीभेल चरण-1ए	केंद्रीय	एनएचपीसी	195	03.10.06	यह परियोजना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है
28.	कोटलीभेल चरण-1बी	केंद्रीय	एनएचपीसी	320	31.10.06	यह परियोजना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है
29.	अलकनंदा	निजी	जीएमआरएल	300	08.08.08	यह परियोजना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है
उप योग				815		
पश्चिम बंगाल						
30.	तुर्गा पीएसपी	राज्य	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	1000	05.10.16	अनुबंध पैकेज देने का कार्य प्रगति पर है
उप योग				1000		
मध्य प्रदेश						
31.	एमपी 30 गांधीसागर पीएसपी	निजी	ग्रीनको	1920	27.11.24	प्राधिकरण ने 27.11.2024 को आयोजित अपनी बैठक में सहमति प्रदान की। सहमति पत्र अभी जारी होना बाकी है.
उप योग				1920		
महा योग				25234		

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1591

दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 की प्रयोज्यता

1591. श्री अजीत कुमार भुयान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 सार्वजनिक/निजी दोनों प्रकार की सभी वितरण कंपनियों पर अनिवार्य रूप से लागू है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) में कितने शिकायत मंच (स्तर-1 से स्तर-3 तक) बनाए गए हैं;

(घ) क्या एपीडीसीएल ने इन मंचों (स्तर-1 से स्तर-3) के गठन के बारे में सदस्यों के नाम, संपर्क नंबर आदि की जानकारी देते हुए स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि वितरण कंपनियां विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 को निष्फल करने के लिए सभी स्तरों पर सीजीआरएफ का गठन नहीं करती हैं, तो उपभोक्ताओं के लिए क्या उपाय उपलब्ध हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 के अंतर्गत दिनांक 31.12.2020 को अधिसूचित एवं समय-समय पर यथासंशोधित, विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 सभी सार्वजनिक और निजी डिस्कॉम पर अनिवार्य रूप से लागू है।

(ग) से (ङ) : असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एपीडीसीएल में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) के दो स्तर, अर्थात् जिला स्तरीय सीजीआरएफ और राज्य स्तरीय सीजीआरएफ स्थापित किए गए हैं। अब तक एपीडीसीएल में 23 जिला स्तरीय सीजीआरएफ और एक राज्य स्तरीय सीजीआरएफ का गठन किया जा चुका है। एपीडीसीएल द्वारा सीजीआरएफ के गठन को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचारित किया गया है।

(च) : यदि डिस्कॉम नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1592

दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

तेलंगाना में विद्युत परियोजनाएं

1592. श्री अनिल कुमार यादव मंदादी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलंगाना राज्य में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्माणाधीन परियोजनाओं के चालू होने के बाद मौजूदा विद्युत उत्पादन क्षमता में जोड़ी जाने वाली विद्युत क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या तेलंगाना राज्य में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को चालू करने के लिए कोई समय सीमा तय की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : तेलंगाना राज्य में निर्माणाधीन विद्युत परियोजना का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	स्रोत	ट्रायल रन / कमीशनिंग तिथि
1.	यदाद्री टीपीएस 4,000 मेगावाट (800x5)	राज्य	ताप विद्युत	यूनिट 1 और यूनिट 2 - दिसंबर, 24 यूनिट 3 - मार्च, 25 यूनिट 4 - फरवरी, 25 यूनिट 5 - मई, 25
2.	लघु जलविद्युत स्टेशन (एमएचएस) - 4.6 मेगावाट पेडापल्ली	राज्य	सौर	मार्च, 25

उपर्युक्त परियोजनाओं के शुरू होने के बाद विद्युत उत्पादन क्षमता निम्नानुसार होगी:

स्रोत	31.10.2024 तक संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	जोड़ी जाने वाली क्षमता (मेगावाट)	उपर्युक्त परियोजनाओं के शुरू होने के बाद कुल क्षमता (मेगावाट)
ताप विद्युत	9,442.5	4,000	13,442.5
जल विद्युत	2,405.6		2,405.6
आरईएस	5,282.7	4.6	5,287.3
न्यूक्लियर	-	-	-
कुल	17,130.8	4,004.6	21,135.4
